राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

RNI.No. UPHIN/2019/79073

स्वतंत्र प्रभात

जो लिखेगा, वही टिकेगा

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करे
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | 9511151254 | epaper.swatantraprabhat.com | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

लखनऊ से प्रकाशित एंव सीतापुर, हरदोई, शाहजहाँपुर, उन्नाव, हमीरपुर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, प्रयागराज, बांदा, महोबा, मिर्जापुर, भदोही, ललितपुर, झारखण्ड, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड आदि जनपदो में प्रसारित

लखनऊ, गुरुवार, 11 अप्रैल 2024

वर्ष 05, अंक 192, पृष्ट 12, मूल्यः 03 रुपया

www.swatantraprabhat.com

फैक्ट्रियों ने नदी को बना डाला गंदा नाला....05

अमेरिकी राजदूत बोले- अगर भविष्य देखना है तो भारत आइए....12

सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के एमडी और बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई

स्वतंत्र प्रभात

पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की माफी को स्वीकार करने से मना कर दिया। इसके अलावा कोर्ट सरकार के जवाब से भी संतुष्ट नहीं थी। अदालत ने मामले से जुड़े अधिकारियों को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि आप अगले ऐक्शन के लिए तैयार रहें। आपने जानबूझ कर कोर्ट की अवमानना की और मामले को हल्के में लिया। पीठ ने पतंजलि के वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि हलफनामा केवल "कागज पर" है और चेतावनी दी कि प्रस्तावित अवमाननाकर्ताओं को उपक्रम के उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोर्ट की अवमानना मामले में बाबा रामदेव की ओर से जो हलफनामा पेश किए गए। एक पतंजलि की ओर से था और दूसरा बाबा रामदेव की ओर से व्यक्तिगत था। सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा को स्वीकार करने से मना कर दिया। जस्टिस कोहली ने कहा, हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं, हम इसे अदालत की अवमानना मानते हैं। अब आप अगले ऐक्शन के लिए तैयार रहें।

सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव का हलफनामा पढ़ा गया। बाबा रामदेव की ओर से बिना शर्त माफी भी मांगी गई। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, 'हम अंधे नहीं हैं।' जस्टिस कोहली ने कहा पकड़े जाने के बाद केवल कागज पर माफी मांगी गई है। हम इसे स्वीकार नहीं करते। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि ये स्वीकारने लायक नहीं है, ऐसा तीन बार किया जा चुका है। बाबा के वकील रोहतगी ने कहा पेशवेर वादी नहीं है, लोग जीवन में गलतियां करते हैं। बेंच ने कहा, हमारे आदेश के बाद भी गलती? इस मामले में हम इतना उदार नहीं होना चाहते।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कोहली ने कहा कि अवमानना के केस में जब आप यह कहकर छूट मांगते हैं कि आपके पास विदेश यात्रा का टिकट है। आपने देश से बाहर जाने के अपने एक कार्यक्रम की जानकारी दी है, इसे देखकर लगता है कि आप सारी प्रक्रिया को हल्के में ले रहे हैं। जस्टिस अमानुल्लाह ने सुनवाई के दौरान कहा, कोर्ट से झूठ बोला गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने ये मामला 2020 में उत्तराखंड सरकार को भेजा था। लेकिन उन्होंने इसमें निष्क्रियता दिखाई। अब कार्रवाई उन अधिकारियों पर भी होनी चाहिए।

अदालत ने अधिकारियों से पूछा आपने अब तक इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया। यह क्यों न माना जाए कि आपकी इनसे मिलीभगत है। कोर्ट ने कहा इन

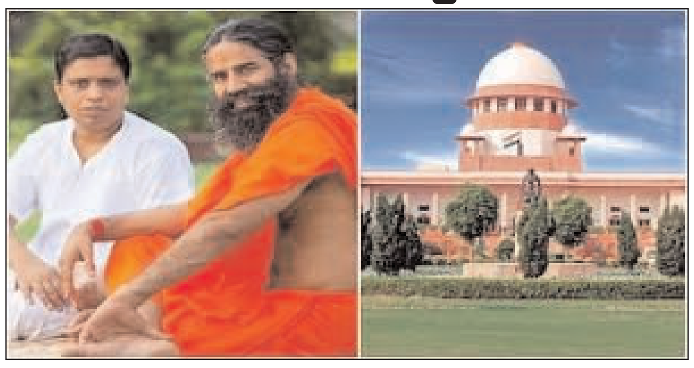

अधिकारियों का अभी निलंबन होना चाहिए। जस्टिस कोहली ने पूछा कि ड्रग ऑफिसर और लाइसेंसिंग ऑफिसर का क्या काम है? आपके अधिकारियों ने कुछ नहीं किया है। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, हमें अधिकारियों के लिए 'बोनाफाइड' शब्द के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति है। हम हल्के में नहीं लेंगे। हम इसकी धज्जियां उड़ा देंगे।

जस्टिस कोहली ने सरकार से फटकार लगाते हुए कहा, 'कोई मरे तो मरे...लेकिन हम चेतावनी देंगे'। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा आपने हमें उकसाने का काम किया। ये तो अभी शुरुआत है। केंद्र सरकार की ओर पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ये तो बस गलतियां हैं। जस्टिस कोहली ने कहा, ये मूर्खताएं हैं। मेहता ने कहा, हम एक पार्टी नहीं थे। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वाह! कोई भी पार्टी आपको आपके सार्वजनिक कर्तव्य से मुक्त नहीं कर सकती! यह बिल्कुल अप्रासंगिक बात है।

जब मेहता ने कार्रवाई का आश्वासन दिया तो कोर्ट ने कहा, उन सभी अज्ञात लोगों के बारे में क्या जिन्होंने इन बीमारियों को ठीक करने वाली पतंजलि दवाओं का सेवन किया है जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है.. क्या आप किसी सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसा कर सकते हैं?

जस्टिस कोहली ने रोहतगी से कहा कि माफी कागज पर है। उनकी पीठ दीवार से सटी हुई है। हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं, हम इसे वचन का जानबूझकर किया गया उल्लंघन मानते हैं। हलफनामे की अस्वीकृति के अलावा कुछ और के लिए तैयार रहें।

"लोग गलतियां करते हैं।"

जस्टिस कोहली ने इस पर जवाब दिया, तब उन्हें भुगतना पड़ता है। हम इस मामले में इतना उदार नहीं होना चाहते।"

जस्टिस कोहली ने आगे टिप्पणी की, हमें आपकी माफ़ी को उसी तिरस्कार के साथ क्यों नहीं लेना चाहिए जैसा अदालती उपक्रम को दिखाया गया? हम आश्वस्त नहीं हैं। अब इस माफ़ी को ठुकराने जा रहे हैं।÷सुनवाई के अंत में रोहतगी ने कहा कि अवमाननाकर्ता सार्वजनिक माफी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोर्ट ने छूट नहीं दी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने वकीलों को सलाह दी है कि वे पहला हलफनामा वापस ले लें, क्योंकि यह सशर्त शर्तों में लिखा गया और बिना शर्त हलफनामा दाखिल करें। एसजी ने आगे कहा कि वह यह जानने को उत्सुक हैं कि सलाह देने में उन्होंने क्या चूक की। जवाब में, खंडपीठ ने कहा कि एसजी ने वह सब किया जो वह कर सकते थे, लेकिन उनकी सिफारिश के बावजूद हलफनामा ठोस नहीं है और केवल कागज पर है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले के पूरे इतिहास और उत्तरदाताओं (5-7) के पिछले आचरण को ध्यान में रखते हुए हमने उनके द्वारा दायर नवीनतम हलफनामा स्वीकार करने के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की है।

अन्य दिलचस्प घटनाक्रम में न्यायालय ने टिप्पणी की कि पतंजलि के एमडी और बाबा रामदेव ने विदेश यात्रा के झूठे दावे करके न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से बचने की कोशिश की।कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद उन्होंने इस आधार पर छूट की मांग करते हुए आवेदन दायर करके"अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से बचने÷ का प्रयास किया कि वे विदेश यात्रा कर रहे थे। उक्त तथ्य को प्रदर्शित करने के लिए उनके द्वारा कुछ उड़ान टिकटों का हवाला देते हुए हलफनामा दायर किया गया, जो अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने पाया कि यद्यपि आवेदन 30 मार्च को दायर किए गए, लेकिन "आश्चर्यजनक रूप से पर्याप्त" के रूप में प्रस्तुत किए गए उड़ान टिकटों पर 31 मार्च की तारीख थी। पिछली सुनवाई के दौरान संबंधित वकील को इस तथ्य का सामना करना पड़ा।

नवीनतम हलफनामे में बालकृष्ण और रामदेव ने स्वीकार किया कि टिकट शपथ लेने के एक दिन बाद जारी किए गए और बताया कि हलफनामा दाखिल करने के समय टिकटों की फोटोकॉपी संलग्न की गई। कोर्ट ने आदेश में कहा कि तथ्य यह है कि जिस तारीख (30 मार्च) को हलफनामे की शपथ ली गई, उस दिन ऐसा कोई टिकट अस्तित्व में नहीं था। इसलिए धारणा यह है कि उत्तरदाता अदालत के समक्ष अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से बचने की कोशिश कर रहे थे, जो कि सबसे अस्वीकार्य है।"

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पतंजलि और उसकी सहायक कंपनी दिव्य फार्मेसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में लाइसेंसिंग अधिकारियों की विफलता के लिए उत्तराखंड राज्य को भी फटकार लगाई। पीठ ने पूछा कि उसे यह क्यों नहीं सोचना चाहिए कि अधिकारी पतंजलि/दिव्य फार्मेसी के साथ "मिले हुए" हैं।

अपने आदेश में अदालत ने कहा कि वह यह देखकर "आश्चर्यचकित" है कि "फ़ाइल को आगे बढ़ाने" के अलावा, राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों ने कुछ नहीं किया और वे केवल "किसी भी तरह मामले में देरी करने" के लिए "कसूर लगाने" की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण दिव्य फार्मेसी के खिलाफ निष्क्रियता के कारण "समान रूप से सहभागी" है, जबकि उसके विज्ञापनों में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम का उल्लंघन करने की जानकारी होने के बावजूद उसने दिव्य फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। यह कहते हुए कि वह अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी करने से बच रही है, अदालत ने निर्देश दिया कि 2018 से आज तक राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण, हरिद्वार के संयुक्त निदेशक का पद संभालने वाले सभी अधिकारी भी अपनी ओर से निष्क्रियता बताते हुए हलफनामा दाखिल करेंगे।

संक्षिप्त ख़बरें

टूण्डला नगर रामलीला में स्थित ओम नमः शिवाय मंदिर पर बुधवार को मूर्ति स्थापना की गई

टूण्डला- टूण्डला नगर रामलीला मैदान में स्थित ओम नमः शिवाय मंदिर पर चैत के नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तों के द्वारा भैरव बाबा और काली माता की मूर्ति की स्थापना विधि विधान के साथ की गई सर्वप्रथम गाजे बाजे के साथ नगर में मूर्ति भ्रमण किया गया भक्तों ने जमकर नृत्य किया उसके बाद ओम नमः शिवाय मंदिर पर विधि विधान के साथ स्थापना की गई जिसमें भजन कीर्तन भी किया गया उसके बाद प्रसाद बांटा गया मूर्ति स्थापना के प्रमुख संजय सक्सेना मयंक सक्सेना सरिता सक्सेना ने कराई इस मौके पर मंदिर प्रमुख राजीव परमार राजेश कौशिक बृजपाल सिंह परमार पंकज परमार राजनाथ त्यागी बिरम सिंह मनीष चौहान गोपाल परमार सचिन सुखदेव आदि भक्तगण मौजूद रहे।

निबंध प्रतियोगिता में वैष्णवी ने मारी बाजी

शिकोहाबाद। बीडीएम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसका विषय भारतीय समाजशास्त्र के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रतियोगिता में वैष्णवी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर गीता यादुवेन्दु की अध्यक्षता में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें प्रोफेसर जीएस घूरिये भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं।

संयुक्त जिला अस्पताल परिसर से मोटर साइकिल चोरी, मुकदमा दर्ज

अम्बेडकरनगर। संयुक्त जिला अस्पताल से मोटर साइकिल चोरी की घटना आम बात हो गई है। परिसर में पुलिस चौकी होने के बाद भी चोरी की घटना थमने का नाम नही ले रही है। सोनू कुमार कुक का काम जिला अस्पताल में करता है। बीते 30 मार्च को अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के पास मोटरसाइकिल खड़ी कर ड्यूटी कर रहा था। जब दोपहर दो बजे उसकी ड्यूटी खत्म हुई तो आकर देखा तो उसकी मोटर साइकिल गायब थी। काफी खोजबीन के बाद भी उसकी मोटर साइकिल नही मिली। भुक्तभोगी की तहरीर पर अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मोटर साइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अकबरपुर कोतवाली निरीक्षक बीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया की संदिग्धों की तलाश की जा रही हैं जल्द ही मोटरसाइकिल बरामद कर ली जाएगी।

भ्रष्टाचार- दो माह से ह्यूम पाईप खरीद की रुपईडीह ब्लॉक के 106 ग्राम पंचायतों में कागजों में चल रही जांच धूल फांक रही फाइलें

» करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार पर अधिकारी डाल रहे पर्दा ,।प्रत्येक वर्ष ह्यूमन पाइप खरीदारी में जमकर हुआ भ्रष्टाचार , सिर्फ कागजों में खरीदारी, ग्रामीण को नहीं मिल पा रहा लाभ

» रुपईडीह ब्लॉक के 106 ग्राम पंचायत में ह्यूमन पाइप खरीदारी में जमकर भ्रष्टाचार किया गया,

» टीम गठित कर विभिन्न ग्राम पंचायतों का जांच किए गए लेकिन जांच ठंड बस्ते में बंद पड़े हुए हैं

» भ्रष्टाचार का कागजों में जमकर हुई खरीदारी ,धरातल की वास्तविकता से कोसों दूर।

» करोड़ों रूपयों का जमकर हुआ बंदर बांट , कैसे होगा विकास।

स्वतंत्र प्रभात

ब्यूरो गोंडा। रुपईडीह ब्लॉक में जांच के नाम पर केवल और केवल की जाती है तो खानापूर्ति एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है वहीं दूसरी तरफ सरकार के जीरो टॉलेंस नीति को नहीं समझते ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के द्वारा मिल कर ह्यूम पाइप खरीद में जमकर भ्रष्टाचार किया गया। वहीं विभागीय अधिकारियों द्वारा जब भी संबंध में पूछा जाता है तो उनके द्वारा बताया जाता है की जांच कराई जा रही है लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जाती है वहीं दूसरी तरफ जल निकासी के लिए शासन के द्वारा प्रतिवर्ष लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं लेकिन ग्राम पंचायतों में अभिलेखों में ह्यूम पाइप की खरीद दारी कर धनराशि का भुगतान कर लिया जाता है। मामला विकासखंड रूपईडीह के 106 ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ हैं। जहां पर सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर लगभग करोड़ों रूपये ह्यूम पाइप की खरीद दारी अभिलेखों में की गई लेकिन धरातल से कोसों दूर है इनमें से 70 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतों में अभिलेखों में खरीदारी दिखा कर धनराशि अहरण लिया गया हैं। ग्राम प्रधान व सचिव सहित उच्च अधिकारियों के मिली भगत से करोड़ों रुपए के ह्यूम पाइप की खरीदारी कर जगह जगह लगाने का दावा भी किया जा रहा है लेकिन धरातल पर कुछ और ही वास्तविकता दिखाई दे रहा है।कई ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप कागज़ों में खरीदारी के पड़े हुए हैं उन पर जगह जगह लगाने का भी मजदूरी का फर्जी भुगतान कर लिया गया है ग्रामीण भी आवाज उठाते हैं, ब्लॉक के ग्राम पंचायत तेंदुवा चौखड़िया, कौड़िया, चौहट्टा बराहेमा, लाल नगर, पचरन, बभनीसराय, लोनवा दरगाह, पुरैनिया, रूपईडीह, पिपरा चौबे,बलूवा ककरा, तेलियानी पाठक, तिरेंमनोरमा, बलहीजोत, रज्जनपुर भवानीपुर खुर्द खरगूपुर डिंगुर महादेव कला नारायण पूर माफी शिवगढ़ केवलपुर बलवंत नगर सहित ब्लॉक लगभग सभी गांवों में ह्यूम पाइप में भारी अनियमित

» जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे से इस संबंध में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ ग्राम पंचायत की जांच कराई गई है जानकारी करके संबंधित खिलाफत कार्रवाई की जाएगी।

» खंड विकास अधिकारी मृत्युंजय यादव द्वारा बताया गया कि किसी के द्वारा शिकायत की गई थी जांच की जा रही है जांच में जैसा भी होगा उसके खिलाफत कार्रवाई की जाएगी

की गई है टीम गठित कर अगर जांच कराई जाए तो भ्रष्टाचार का परतदर परत राज खुलकर बाहर आ जाएगे।सरकार के द्वारा लगातार ग्राम पंचायतों में लोगों की सुख सुविधाओं के लिए अलग-अलग मद से बजट जारी कर गांव के विकास के लिए लगातार तत्पर है लेकिन ग्राम पंचायत में प्रधान व पंचायत सचिवों की मिली भगत से भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पा रहा है वल्कि जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा शासन के नियमों को दरकिनार कर भ्रष्टाचार कर धनराशि अहरण किया गया है जिसका जीता जागता हुआ उदाहरण रुपईडीह ब्लॉक में देखने को मिल रहा है जहां पर लगभग करोड़ों रुपए की ह्यूम पाइप कागज़ों में तो खरीद तथा लगाने पर श्रमिक भुगतान भी कर लिया गया लेकिन धरातल पर नहीं दिखाई पड़ रहा।इस सम्बन्ध में खंड विकास अधिकारी से भी संबंध में जानना चाहा लेकिन संपर्क नहीं हो सका।

बलरामपुर चीनी मिल्स लि0, यूनिट- तुलसीपुर
ईद के शुभ अवसर पर तुलसीपुर चीनी मिल की तरफ से आप सभी किसान भाईयो को ईद मुबाराक एवं हार्दिक शुभकामनाएँ।
इस ईद पर आइये हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि :
★ बीज हेतु अपना गन्ना सुरक्षित कर लें।
★ बसन्तकालीन बोवाई हेतु अपना अगैती प्रजाति को 15023, को 0118 एवं कोलख 14201 का गन्ना बीज रोककर रखें ।
★ गन्ना प्रजाति 5191 की बोवाई कदापि न करें।
★ गन्ना सम्बन्धित किसी भी प्रकार समस्या/सहायता के लिए मिल के गन्ना विभाग से सम्पर्क करें।
"क्षेत्र के विकास में सहयोग आपका प्रयास हमारा"
(सुधीर कुमार)
यूनिट हेड